न्यायालय : सिविल न्यायाधीश सुजानगढ़ जिला चूरू
मांगीलाल बनाम बद्रीप्रसाद
ई.दी. 02/2014

दिनाक :– 26.04.2023

वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश द्वारा प्रार्थी भोलाराम की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/जवाब डिक्री कार्यवाही दिनांकित 17.02.2014 का निस्तारण किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी का कथन रहा है कि प्रतिवादी संख्या 2 मुकदमा संख्या 135/2010 बउनवान मांगीलाल बनाम बद्रीप्रसाद निर्णय दिनांकित 07.11.2013 में निर्णीत ऋणी की स्थिति में नहीं रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ उक्त वाद खारिज किया गया था एवं कोई डिक्री प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध पारित नहीं की गई थी। उक्त दावे में प्रतिवादी संख्या 2 के पक्षकार बनने व जवाबदावा पेश करने के समय से ही डिक्रीदार को यह जानकारी थी कि प्रतिवादी संख्या 2 वादगत परिसर में मय परिवार निवासरत है एवं उसके द्वारा वादगत परिसर का उपयोग–उपभोग किया जा रहा है। निर्णीत ऋणी संख्या 1 बद्रीप्रसाद का कभी भी वादगत परिसर पर भौतिक कब्जा नहीं रहा। उक्त दावा पेश करते ही प्रतिवादी संख्या 1 बद्रीप्रसाद ने वादी डिक्रीदार से परिसर रिक्त कर सौंपने का राजीनामा न्यायालय श्रीमान् में पेश कर दिया था जिसका पता चलने पर प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रकरण में पक्षकार बनने का आवेदन प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखा था। जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा एडवर्स पजेशन के आधार पर वादगत संपति पर काबिज होना प्रकट किया था किन्तु तत्पश्चात इस संदर्भ में न्यायालय की अनुमति से पृथक से दावा पेश करने हेतु इजाजत ली जाकर सक्षम न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया गया। इस कारण इस बिन्दू पर न्यायालय श्रीमान् का कोई निष्कर्ष पारित नहीं हुआ। एडवर्स पजेशन के आधार पर वाद न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश सुजानगढ में वर्तमान में लंबित है। वाद बउनवान मांगीलाल बनाम बद्रीप्रसाद प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध खारिज होने के कारण एवं डिक्रीदार को प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं दिये जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 क विरूद्ध हस्तगत इजराय पोषणीय नहीं है। अंत में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध इजराय कार्यवाही समाप्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता डिक्रीदार मांगीलाल द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर दौराने बहस कथन किया कि निर्णीत ऋणी संख्या 2 मूल वाद में पक्षकार नहीं था बल्कि स्वंय ने अदालत में आवेदन कर पक्षकार बना था तत्पश्चात स्वंय ने ही अपनी प्लीडिंग व अनुतोष विड्रा कर लिया था। निर्णीत ऋणी संख्या 2 भोलाराम का वादगत संपति पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है, केवल बद्रीप्रसाद का ही कब्जा था एवं वहीं किरायेदार था। मूल वाद में बद्रीप्रसाद को ही किरायेदार मानकर उसके खिलाफ डिक्री पारित की गई थी। यह सही है कि माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सुजानगढ में भोलाराम ने एडवर्स पजेशन के अनुतोष हेतु दावा पेश कर रखा है किन्तु इस इजराय को रोकने हेतु उक्त न्यायालय से कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। अंत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षो के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली व इससे सबंधित उज्रदारी का अवलोकन किया गया। जिससे यह प्रकट हुआ कि हस्तगत इजराय से संबंधित मूल वाद बउनवानी मांगीलाल बनाम बद्रीप्रसाद मुकदमा संख्या 135/2010 वादी मांगीलाल द्वारा प्रतिवादी बद्रीप्रसाद के विरूद्ध वास्ते रिक्त

करवाने परिसर एवं बकाया किराया प्राप्ति हेतु पेश किया गया था जिसमें बाद मे प्रतिवादी संख्या 2 भोलाराम द्वारा प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु आवेदन किया गया जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 भोलाराम की ओर से जवाब एवं प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया गया कि वादगत परिसर पर तत्समय 32 वर्षो से प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा एवं उपयोग—उपभोग था तथा उससे पूर्व प्रतिवादीगण के पिता स्व. भभुताराम का कब्जा, उपयोग—उपभोग था। दिनांक 03.02.2011 को उक्त वाद में प्रतिवादी भोलाराम ने अपना प्रतिदावा नया दावा पेश करने की अनुमति के साथ विड्रा कर लिया तथा न्यायालय श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश सुजानगढ में वाद बउनवान भोलाराम बनाम मांगीलाल नंबर मुकदमा 18/2011 वास्ते घोषणा एवं चिरनिषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया, जिसमें भोलाराम द्वारा इस आशय की घोषणा हेतु निवेदन किया कि वह वादगत परिसर का विपरीत कब्जाधारी होने के आधार पर स्वामी हो गया है। उक्त मुकदमा संख्या 18/2011 की आदेशिकाए प्रार्थी भोलाराम द्वारा हस्तगत ईजराय के विरूद्ध पेश की गई उज्रदारी संख्या 18/2014 में प्रस्तुत की गई जिसका अवलोकन करने से यह स्पष्ट हुआ कि वर्तमान में उक्त वाद संख्या 18/2011 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित किये जाने के कारण पत्रावली इंतजार आदेश में नियत है। न्यायालय हाजा में प्रस्तुत उज्रदारी संख्या 18/2014 में प्रार्थी भोलाराम द्वारा वादगत परिसर पर स्वंय का प्रतिकूल कब्जा होने के आधार पर स्वंय को वादगत परिसर से बेदखल नहीं किये जाने का निवेदन किया है जिसके जवाब में डिक्रीदार मांगीलाल द्वारा यह अभिवचन किये गये कि मूल वाद संख्या 135/2010 में उज्रदार भोलाराम किरायेदार नहीं था बल्कि किरायेदार का छोटा भाई होने के कारण वादगत परिसर का उपयोग—उपभोग करता था। इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से यह स्थिति स्पष्ट है कि प्रार्थी भोलाराम के विरूद्ध न्यायालय द्वारा कोई डिक्री पारित नहीं की गई है डिक्रीदार द्वारा भी इस तथ्य का कोई खण्डन नहीं कर वरन् स्वीकारोक्ति की गई है। निर्णय व डिक्री दिनांकित 07.11.2013 की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। विवादित सम्पति पर प्रार्थी भोलाराम का कब्जा है अथवा नहीं, तथा यदि है तो वह किस हैसियत में विवादित सम्पति पर काबिज है यह तथ्य वर्तमान में स्पष्ट नहीं है। इस बाबत् वाद विचाराधीन है। अतः इस तथ्य के संदर्भ में कोई टीका—टिप्पणी किया जाना न्यायोचित नहीं है। यह निर्विवाद है कि प्रार्थी भोलाराम के विरूद्ध उपरोक्त इजराय के मूल वाद में निर्णय एवं डिक्री पारित नहीं की गई है। यह भी सर्वविदित है कि निष्पादन न्यायालय डिक्री के पीछे नहीं जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी के विरूद्ध हस्तगत इजराय की कार्यवाही पोषणीय नहीं है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी भोलाराम के विरूद्ध इजराय की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 25.03.2023 को पेश हो।